न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 226/2021
अवधेश कुमार टांक प्रो0 कृष्णा फोटो स्टूडियो, एस बी आई मुख्य शाखा के पास, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 08.11.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.10.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 226/2021 पर दिनांक 21.10.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/3439—3440 दिनांक 21.10.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/21/2011 दिनांक 08.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी अवधेश कुमार टांक प्रो0 कृष्णा फोटो स्टूडियो, एस बी आई मुख्य शाखा के पास, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 27.07.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू0अ0/09/263 दिनांक 29.07.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला झुंझुनूं को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। जिसके संबंध मे उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 433 दिनांक 26.10.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने अपने पत्र कमांक 487 दिनांक 28.10.2021 उपखण्ड अधिकारी खेतडी ने अपने पत्र कमांक 663—64 दिनांक 04.08.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने अपने पत्र कमांक 1473 दिनांक 02.09.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी बुहाना ने अपने पत्र कमांक 719—20 दिनांक 01.09.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी नवलगढ ने अपने पत्र कमांक 260 दिनांक 19.08.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ने अपने पत्र कमांक 73 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं पत्रांक एफ16 (4)(5)न्याय/सू0अ0 सू0अ0/21/2011 दिनांक 08.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी अवधेश कुमार टांक प्रो0 कृष्णा फोटो स्टूडियो, एस बी आई मुख्य शाखा के पास, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 27.07.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5) न्याय/सू0अ0/09/263 दिनांक 29.07.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला झुंझुनूं को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। जिसके संबंध मे उपखण्ड

अधिकारी झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 433 दिनांक 26.10.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने अपने पत्र कमांक 487 दिनांक 28.10.2021 उपखण्ड अधिकारी खेतडी ने अपने पत्र कमांक 663–64 दिनांक 04.08.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने अपने पत्र कमांक 1473 दिनांक 02.09.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी बुहाना ने अपने पत्र कमांक 719–20 दिनांक 01.09.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी नवलगढ ने अपने पत्र कमांक 260 दिनांक 19.08.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ने अपने पत्र कमांक 73 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ से सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ को आदेश दिये जाते है कि चाही गई सूचना प्रार्थी को 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
8/11/21